

परिशिष्ट "अ"

सागर विश्वविद्यालय के अधिकारी/शिक्षकों पर दर्ज मुकदमों

क्र	थाना	अप. क्र०	धारा	घटना दिनांक	थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक	सूचना प्राप्त होने पर यदि तत्काल कायमी नहीं की गई तो उसका कारण	कायमी दिनांक	नाम फरियादी	नाम आरोपी	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	क्या महिला अपराध की प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस ने भारी विलंब एवं हीलाहवाली कर मामले को कमजोर किया है? यदि नहीं तो सूचना प्राप्ति के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई ?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	सिविल लाईन	173/16	420,467,471 ताहि.इजाफा धारा 120 बी ताहि	15.07.13 से 06.10.16 तक	03.09.16	आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत 30 नवंबर 2016 विष्णुप्रसाद वर्मा द्वारा जांच की गई जांच उपरांत दिनांक 6.10.16 को अपराध पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया	06.10.16 के 22:49 बजे	डा. अनिल किशोर पिता रामरतन पुरोहित उम्र 52 साल नरयावली नाका चमेली चौक	01 डा. संतोष कुमार परमलाल अहिरवार उम्र 39 साल निवासी सहायक प्राध्यापक वि.वि. सागर स्थाई पता अहमद का वगीचा गोपालगंज 2. प्रोफेसर सतीष	प्रकरण की विवेचना उपरांत चालान क्र.191/16 दिनांक 24.12.16 को तैयार कर मान न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसका केशनं. 2470/17 दिनांक 25.09.17 है वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन आरोपी संतोष कुमार वर्तमान में	

29/11/2017

SAHAR

2	सिविल लाईन	158/17	354 डी ताहि	07.06.17 से 14.07.17 तक	11.8.17 के 16:00 बजे	दिनांक 11.8.17 को ही प्रार्थिया डा रुपाली सैनी द्वारा आवेदन दिया गयाथा जो धाना के आवक रजिस्टर में 44 न0 पर इद्राज है। जो आवेदन पत्र प्रदाय होने के उपरांत अविलंब प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। विलंब नहीं किया गया है।	11.08.17	डा. रुपाली पति राजेश सैनी उम्र 43 साल निवासी पी.टी.सी. ग्राउण्ड रोड गोपालगंज	प्रो.जी.एल. पुन्तावेकर पिता लक्ष्मण रघुनाथ राव उम्र 58 साल निवासी सी- 16वि.वि. कैम्पस सागर	चौधरी पिता रघुनाथ चौधरी उम्र 45 साल निवासी वि.वि. सागर स्ताई पता परसोनी रहेसी थाना साहवगंज जिला मुजफ्फरपुर बिहार	निलंबित चल रहे है, आरोपी सतीष चौधरी वर्तमान में सागर विश्वविद्यालय में कार्यरत है।	प्रकरण की विवेचना उपरांत चालान क्र.114/17 दिनांक 29.08.17 को तैयार कर मान न्याया0 में पेश किया जा चुका है जिसका केश नं.23.08.17 दिनांक 08.09.17 वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है आरोपी जी.एल. पुन्तावेकर वर्तमान में सागर विश्वविद्यालय में कार्यरत है।	सूचना प्राप्ति दिनांक को ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
---	---------------	--------	-------------	----------------------------------	-------------------------	---	----------	---	---	---	---	--	---

9/9/11/2017

CLAB 3112 330741

3	सिविल लाईन	239/17	354ए, 354डी 506 ताहि	10.08.17 से 28.9.17 के मध्य	27.10.17 के 19:30 के बजे	दिनांक 27.10.17 को थाना सिविल लाईन में प्रार्थिया मोनिका परमार पिता कमल सिंह परमार महिला छात्रावास तहसीली द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो थाने के आवक रजि0 65 पर इंद्राज है आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 27.10.17 को ही प्रथम सूचना पत्र दर्ज कियाग या विलंब नहीं किया गया है	27.10.17	कु.मोनिका पिता कमल सिंह परमार उम्र 22 साल निवासी कल्याणी छात्रावास तहसीली सागर	प्रो.दीपक व्यास	आरोपी दीपक व्यास घटना दिनांक से ही फरार चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, आरोपी सागर विश्वविद्यालय में कार्यरत है किन्तु कार्यस्थल से फरार है।	सूचना प्राप्ति दिनांक को ही प्रकरण पजीबद्ध किया गया।
---	---------------	--------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---	----------	--	--------------------	---	--

29/11/2017

A.I.C
CID.HQ.DIGPAT